"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अगस्त 2010—श्रावण 18, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-04-2006 द्वारा छत्तीसगढ़ बी. एड. प्रवेश नियम 2006 बनाया गया है, उक्त नियम में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 4 के उपनियम (ख) को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें—

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों में छूट की व्यवस्था होगी. ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर (स्नातक प्राप्तांक निर्धारित अंक से कम होने पर) के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री.बी.एड. परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जायेगा. परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 5-5/2006/20-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव.

Raipur, the 9th August 2010

NOTIFICATION

No. F-5-5/2006/20-I.—Chhattisgarh B.Ed. Pravesh rule 2006 is made by even department notification date 20-04-2006 State Government hereby makes following amendment in the above rules, namely :—

AMENDMENT

1. Following sub-rule is established by deleting sub-rule (b) of rule 4.

(b) Must have passed with minimum marks prescribed by Notional Council for Teacher Education in the Bachelor's degree and/or in the master's degree or any other qualification equivalent thereto, there shall be relaxation of 5 percent marks for candidate belonging to Scheduled Caste/Scheuduled Tribe/ Other Backward Classes and categories. Candidate appearing in the final year examination of three year graduate degree course or post graduation (aggregate marks are less than required in the graduation course), will be given provisional admission, but while filling the on-line forms if the candidate fails to produce the required testimonials and if he/she is in the merit list of Pre-B.Ed. Examination, he/she will not be given admission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. MANDAL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.